



दिनांक 29.10.2024

प्रेस विज्ञप्ति 43 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय में “राष्ट्रीय एकता दिवस” के अवसर पर ली गई शपथ

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक: 29.10.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में “सरदार वल्लभ भाई पटेल” के जन्म दिवस के अवसर पर अपने कक्ष में उपस्थित अधिकारियों के साथ शपथ ली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस “राष्ट्रीय एकता दिवस” के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।

इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने—अपने कार्यालय में शपथ ली गई कि —

“मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिये स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देश वासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।”





दिनांक 29.10.2024

प्रेस विज्ञप्ति 44 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रतापगढ़ / थाना सांगीपुर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 29.10.2024 को थाना सांगीपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीरशाहपुर मोड़ से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शेखर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सांगीपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एकट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, गैंगेस्टर एकट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शेखर निवासी ग्राम आमीशंकरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

जनपद औरैया / थाना अछल्दा

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 28.10.2024 को थाना अछल्दा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगरिया बम्बा पुल फॅफूद मार्ग से पुरस्कार घोषित सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कमिशनरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अछल्दा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू निवासी इन्दरगढ़ थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद एटा / थाना मिरहची

- 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 29.10.2024 को थाना मिरहची पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिरस पप्पू नहर से बहादुरपुर जाने वाले मार्ग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद एटा से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध चोरी, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मिरहची पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अशोक कुमार निवासी दत्तपुर थाना सकीट जनपद एटा।

कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर / थाना इकोटेक-03

• पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के सोने-चॉदी के आभूषण

• घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 29.10.2024 को थाना इकोटेक-03 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीआईएसएफ कैम्प वाले रोड पर ग्राम सुत्याना के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवा उर्फ पवन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने-चॉदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना इकोटेक पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवा उर्फ पवन निवासी ग्राम डडुआ खुर्द थाना रुदौली जनपद बरस्ती हालपता—ग्राम डेरिन थाना इकोटेक-03, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—चोरी के सोने-चॉदी के आभूषण।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के सोने के आभूषण
- 55 हजार रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक: 28.10.2024 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईएसबीटी बस स्टैण्ड के पास से 03 अभियुक्तों 1—अन्सार 2—सहजाद 3—दिलशाद उर्फ छोटे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, 55 हजार रुपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना हरीपर्वत क्षेत्रान्तर्गत अङ्गात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रुपये चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद के विरुद्ध कमिश्नरेट आगरा, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अन्सार निवासी खिल्बई, गाजियाबाद हालपता—न्यू गौरव एन्कलेव कालोनी डासना, थाना मसूरी, गाजियाबाद।

2—सहजाद निवासी जीतपुर मलिक नगर मुरादनगर थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

3—दिलशाद उर्फ छोटे निवासी डबल स्टोरी मोदीपुरम जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी के सोने के आभूषण।

2—55 हजार रुपये नगद आदि।

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 29.10.2024 को थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोपाल नगर से अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आम्सू एकट, गैंगेस्टर एकट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अर्जुन निवासी ग्राम कनवारा थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 04 मोटर साइकिल।

➤ जनपद सोनभद्र / थाना अनपरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना अनपरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त लक्षण उर्फ बड़कू को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद मुजफ्फरनगर / थाना चरथावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना चरथावल पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त

1—लोकमणि को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड 2—अभियुक्त ओमकैलाश को अन्तर्गत धारा 302/34/394 भादवि में आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बागपत/थाना खेकड़ा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना खेकड़ा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376एबी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राज को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
